माननीय सुश्री हिमा कोहली, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की अध्यक्षता में 5 मई, 2020 को सायं 5.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक के कार्यवृत्त

बैठक मेंविडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्चाधिकार समिति के निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लियाः

1. श्री सत्य गोपाल, प्रमुख सचिव, (गृह)/अतिरिक्त मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार .... सदस्य
2. श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल), दिल्ली....................सदस्य।
3. श्री कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DSLSA)

एजेंडाः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2020 और 13.04.2020 के आदेशों में जारी किए गए निर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन केस शीर्षक Suo Motu Petition (Civil) No. 1/2020 – In Re: Contagion of COVID-19

आइटम नंबर 1ः– कैदियों की सुरक्षा, स्क्रीनिंग, पहचान एवं उपचार के संबंध में पहले अपनाए गए समाधान की जांच करना

आरंभ में श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि जेल प्रशासन ने पिछली बैठक में समिति द्वारा पारित दिशा निर्देशों, निर्देशों और निर्णयों का कड़ाई से पालन किया है। जिसके परिणामस्वरूप वे जेल परिसर में **कोविड–19 (कोरोना वायरस) के विस्फोट/प्रसार को रोक सके।**

श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को आगे सूचित किया कि पिछली बैठक के निर्णयों को अपनाते हुए **अलगाव वार्ड** बनाए गए हैं। नए पुरूष प्रवेशकजिनकी उम्र 21 वर्ष से ऊपर है, उनके लिए तिहाड़ में जेल न. 2 और मंडोली में जेल न.13 बनाए गए हैं जिससे कि वे जेल के अंदर पहले से ही बंद कैदियों से **घुल मिल**न सकें और नए कैदी जिनकी आयु 18–21 वर्ष के बीच है उनके लिए जेल न.5 और नए महिला कैदियों के लिए जेल न. 6 में अलग से **अलगाव वार्ड** बनाए गए हैं।

महानिदेशक (जेल) ने आगे बताया कि सभी नए जेल प्रवेशकों की थर्मल स्कैनिंग और मेडिकल परीक्षण किया जाता है। महानिदेशक (जेल) ने समिति को यह भी अवगत कराया कि चिकित्सीय आवश्यकता पड़ने पर नए कैदियों का **CT-PCR टेस्ट** भी

करवाया जाता है। उन्होने आगे सूचित किया कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तिहाड़ की जेल न. 2, 5 और 6 और मंडोली की जेल न. 13 में **एकांत** में रखा जाता है।

अध्यक्ष के द्वारा यह पूछे जाने पर कि जेल प्रशासन के द्वारा विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर उनके आत्मसमर्पण के दौरानअपनाई गई प्रक्रिया के विषय मेंमहानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि ऐसे विचाराधीन कैदी जो अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर जेल परिसर में आत्मसमर्पण करतें हैं तो उन्हें **नए कैदी** के रूप में प्रवेश करवाया जाता है, उनका चिकित्सीय परीक्षण होता है और उन्हें **अलगाव वार्ड** में रखा जाता है।

महानिदेशक (जेल) नेअध्यक्ष को उपायों के बारे में अवगत कराया कि **कोविड–19 (कोरोना वायरस)** के प्रकोप को रोकने के लिए जेल स्टॉफ, कैदी, जेल कर्मचारी और अन्य व्यक्ति आवश्यक सावधानी बरत रहें हैं और **सामाजिक दूरी** का**गहनतापूर्वक** पालन कर रहें हैं। उन्होने अध्यक्ष को इस बात से भी अवगत कराया कि स्नान क्षेत्र, रसोई क्षेत्र, जेल और टेलीफोन क्षेत्र को नियमित रूप से साफ किया जा रहा है। उन्होने आगे बताया कि जेलों में स्थापित **"पब्लिक एड्रेस सिस्टम"** के माध्यम से कैदियों को आवश्यक सावधानियों के बारे में सूचित किया जाता है कि उन्हें "क्या करना चाहिए क्या नही"।

महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार जेल के अंदर बनने वाले साबुन, लिक्विड सोप, फिनाइल, मास्क और सैनिटाइजर सभी जेलों में रखने के अतिरिक्त जेजेबी और ऑब्र्जवेशन होम से प्राप्त मांग के अनुसार इन सभी सामग्रियों को पर्याप्त मात्रा में वहां भेजा गया है।

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि जेल स्टॉफ और कैदियों की जेल डॉक्टरों के द्वारा नियमित चिकित्सीय जांच की जा रही है और यदि डॉक्टर के द्वारा किसी को सलाह दी गई है तो वह तुरंत जेल अधीक्षक को सूचित करे और यदि वे किसी कैदी में **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के लक्षण पाते है या किसी पर संदेह करतें है तो उसेICMRस्वास्थ्य मंत्रालय,भारत सरकार के द्वारा जारी सलाह/दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। उन्होने अध्यक्ष को आगे सूचित किया कि जेलों में स्वच्छ सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहें हैं।

महानिदेशक (जेल) ने **आश्वासन** दिया कि जेल प्रशासन इन निर्णयों और सावधानियों का पालन करता रहेगा ताकि जेल परिसर में **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के प्रकोप को रोका जा सके।

समिति महानिदेशक (जेल) के द्वारा उठाए जा रहे कदमों से **संतुष्ट** है और उन्हें ऐसा निरंतर करते रहने का निर्देश दिया।

आइटम नंबर 2 :– जेलों में भीड़ कम करने के लिए उठाए गए पूर्ववर्ती मापदंडों के प्रभाव का जायजा

दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के द्वारा दिनांक 23.03.2020 को पारित आदेश के आधार पर पहले अपनाए गए मानदंडों के अनुसार बंदियों को रिहा किया गया। माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में और साथ ही उच्चाधिकार समिति की बैठक में अपनाए गए मानदंडों के आधार पर दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020 और 18.04.2020 को समिति के समक्ष रखा गया। समिति के द्वारा उसका अवलोकन किया गया जो कि निम्नाकिंत है–

आइटम नंबर 2 (ए) : दोषियों की पैरोल के संबंध में

दोषियों की पैरोल के संबंध में	
जारी किए गए आदेशों की कुल संख्या	1156
छोड़े गए अपराधी	1056
नोटः हालांकि 1156 दोषियों की रिहाई के संबंध में आपातकालीन पैरोल के आदेश जारी किए गए हैं लेकिन उनमें से कुछ छोड़े नही गए हैं क्योंकि उनमें से कुछ अनइच्छुक हैं और कुछ पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के निवासी हैं।	

महानिदेशक (जेल) ने समिति को आश्वासन दिया कि पहले से ही जारी आदेशों के अतिरिक्त वह आगे भी **आपातकालीन पैरोल** की प्रक्रिया को शुरू करेंगे यदि जेल में बंद कोई अन्य कैदी पैरोल के लिए पात्र हो जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह) ने आश्वासन दिया कि वे इस प्रक्रिया में तेजी लाएंगे जब भी महानिदेशक (जेल) से पात्र दोषियों को **आपातकालीन पैरोल** प्रदान करने के लिए कोई सिफारिश प्राप्त होगी।

तदानुसार**हल** किया जाता है।

आइटम नंबर 2 (बी) विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत के संबंध में

(बी)विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत के संबंध में	
मानदंड के अनुसार आवेदन की संख्या	2728
दिनांक 06.04.2020 तक जमानत प्रदान करने के आदेश	2247

विचाराधीन कैदी जो पहले ही छूट चुके हैं।	2177
नोटः हालांकि, अंतरिम जमानत आदेश 2247 विचाराधीन कैदियों के संबंध में जारी किए गए हैं लेकिन उनमें से कुछ स्थायी पता न होने के कारण नही छोड़े जा सके, वे आवारा हैं कुछ अपने राज्यों से बहुत दूर हैं और कुछ विचाराधीन कैदी अनिच्छुक हैं।	

कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, डीएसएलएसए ने समिति को सूचित किया पैनल अधिवक्ता दैनिक आधार पर जेल परिसर का दौरा करतें है और उन्होने समिति के द्वारा अंतरिम जमानत के लिए अपनाए गए मानदंडों को अपनाते हुए जमानत के प्रार्थना पत्र ड्राफ्ट और दायर करतें हैं। उन्होने आगे सूचित किया कि पैनल अधिवक्ताओं को संबंधित डयूटी मजिस्ट्रेट और/ अथवा न्यायालय में डयूटी पर उपस्थित सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित आवेदन लगाने के लिए पहले ही अपेक्षित निर्देश दिए जा चुकें हैं। जेल प्रशासन द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। जिससे पता चलता है कि सभी विचाराधीन कैदी जिनके संबंध में जमानत के आदेश पारित किए गए हैं विभिन्न कारणों से नही छोड़े जा सके हैं।

माननीय अध्यक्ष ने महानिदेशक (जेल) को निर्देश दिया कि जेल प्रशासन/जेल अधीक्षक को निर्देश दिया जाए कि वे न्यायालय से जमानत के आदेश प्राप्त होते ही **तुरंत** विचाराधीन कैदी को छोड़ना सुनिश्चित करें और मीटिंग दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020 और 18.04.2020 में लिए गए निर्णयों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के साथ–2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.04.2020 को दिए गए निर्देश अनुसार जेल से उनके घर तक सुरक्षित पहुंचना सुनिश्चित करें।

<u>आइटम नंबर 2 (सी) :– सजा की छूट</u>

(सी) सजा की छूट	
पिछली बैठक दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020 और 18.04.2020 में अपनाए गए प्रस्ताव के अंतर्गत कितने दोषियों की सजा में छूट प्रदान की गई।	39

दिनांक 18.04.2020 की बैठक के कार्यवृत्त के द्वारा महानिदेशक (जेल) ने अवगत करवाया था कि दिनांक 18.04.2020 तक उन्होने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के द्वारा पारित सजा में छूट प्रदान करने के आदेश के आधार पर **25 दोषियों** को पहले ही

रिहा कर चुके है और अभी अन्य 36 दिनांक 30.06.2020 तक रिहा हो जाएंगे। 36 में से 8 रिहा कर दिए गए हैं और अब 26 और दिनांक 30.06.2020 तक रिहा हो जाएंगे।

अंतिम क्षण में अध्यक्ष को यह सूचित किया गया कि दिनांक 28.3.2020 को लिए गए निर्णय और उसके पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के द्वारा पास आदेश के अनुसार वहां **11 दोषी** ऐसे हैं जो कि सजा में छूट प्रदान करने के पश्चात रिहा होने के योग्य हैं परंतु उन्हें जुर्माने का भुगतान न कर पाने के कारण रिहा नही किसा जा सका। अंतिम बैठक में महानिदेशक (जेल) के सुझाव से यह निर्णय हुआ था कि ये **11 दोषी** जिन्होने अपनी **मुख्य सजा** पूरी कर ली है (जिसमें प्रदान की गई नियमित और विशेष छूट सम्मिलित है) जेल अधीक्षक की संतुष्टि के पश्चात एक शपथ पत्र देंगे कि वे ***लॉकडाउन समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर*** जुर्माना जमा करेंगे तत्पश्चात ही उन्हें रिहा कर सकेंगे जुर्माना भरने में असफल रहने पर वे शेष सजा के लिए आत्मसमर्पण करेंगे।(जुर्माना न भर पाने के कारणसुनाई गई सजा)

महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि दिनांक 18.04.2020में लिए गए निर्णयों के आधार पर उन्होने उन **11 दोषियों** को उक्त दायित्व पत्र देने के लिए कहा। हालांकि **5 दोषियों ने** इस प्रकार का कोई दायित्व पत्रदेने से **मना कर दिया** और कहा कि वे जुर्माना न भर पाने के कारण उनको दी गई सजा भुगतने को तैयार हैं। वही अन्य **6 दोषियों ने जुर्माना जमा करवाया**, सजा में छूट के आधार पर उन्हें छूट प्रदान की गई और वे रिहा हो गए।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा पारित पूर्ववर्ती जमानत आदेश में संशोधन के आधार पर विचाराधीन कैदियों को व्यक्तिगत बांड पर रिहा किया

महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया किमाननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के**W.P.(Criminal) No.779/2020**के द्वारा पारित आदेश के आधार पर अभी तक **301विचाराधीन कैदियों** को व्यक्तिगत बांड पर रिहा किया जा चुका है।

अध्यक्ष ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, जेल प्रशासन और डीएलएसए के द्वारा पूर्व की बैठकों में अपनाए गए निर्णयों का पालन और किए गए **प्रयासों की सराहना**की जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली की जेलों में भीड़ कम हुई जो दिनांक 05.05. 2020 की उच्चस्तरीय बैठक के कार्यवृत्त में वाछंनीय था। जिसके परिणामस्वरूप

निम्नाकिंत संख्या में विचाराधीन कैदी/अंतरिम जमानत पर रिहा दोषी/पैरोल और छूट प्रदान करने पर रिहा हुए।

दिनांक 05.05.2020 तक अंतरिम जमानत पर रिहा विचाराधीन कैदी	2177
माननीय उच्च न्यायालय के W.P.(Criminal) No.779 /2020 में दिए गए जमानत आदेश में संशोधन के आधार रिहा विचाराधीन कैदी	301
दिनांक 05.05.2020 तक आपातकालीन पैरोल पर छोड़े गए दोषी	1056
सजा में प्राप्त छूट के आधार पर रिहा दोषी	39
दिनांक 05.05.2020 तक अंतरिम जमानत पर /पैरोल/सजा में छूट से रिहा हुए कुल विचाराधीन कैदी/दोषी	3573

आइटम नंबर 3: WRIT PETITION (CIVIL) 2945/2020 शीर्षक शोभा गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य तथा दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020 एवं 18.04.2020 की बैठकों में अभिलिखित मानदंडों के आधार पर डयूटी मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश की कोर्ट द्वारा विचाराधीन कैदियों को दी जाने वाली अंतरिम जमानत का विस्तार करने पर विचार

श्री संदीप गोयल, महानिदेशक (जेल) के साथ–2 कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, डीएसएलएसए ने समिति को सूचित किया कि**WRIT PETITION (CIVIL) 2945/2020 शीर्षक शोभा गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य** तथा दिनांक 28.03.2020, 07.04. 2020 एवं 18.04.2020 की बैठकों में अभिलिखित मानदंडों के आधार पर बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत प्रदान की गई।

रिकार्डानुसार समिति को यह सूचित किया गया कि जेलों में भीड़ कम करने के लिए विचाराधीन कैदियों को रिहा करने की तारीख से **आज तक 2177 विचाराधीन कैदियों** को **45 दिन** की अवधि के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की गई थी ताकि जेल परिसर में **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** को फैलने से रोका जा सके। और जेल प्रशासन को जेलों में **सामाजिक दूरी** बनाए रखने से सहायता कर सकें। यह पुनः सूचित किया गया कि विचाराधीन कैदियों के संबंध में उक्त 45 दिनों की अवधि **09.5.2020** को समाप्त होने जा रही है और अन्य लोगों की मई, 2020 के महीने में और जून, 2020 के प्रथम सप्ताह में समाप्त हो जाएगी।

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि उच्चाधिकार समिति दिनांक 05.05.2020 तक महामारी की स्थिति अभी वैसी ही है जैसे पहले थी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया था, और अभी तक **कोविड–19 (नोवेल कोरोना वायरस)** के लिए रेपिड टेस्ट उपलब्ध नही है। यदि उन विचाराधीन कैदियों को जिन्हें 45 दिनों की अंतरिम जमानत दी गई थी उन्हें वापिस जेल में ले लिया गया तो यह एक **खतरनाक प्रस्ताव** होगा।

महानिदेशक (जेल) ने प्रस्ताव दिया कि इसको दृष्टि में रखते हुए विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस संबंध में एआईजी (जेल) के द्वारा दिनांक 04.05.2020 का पत्र भी समिति के संज्ञान में लाया गया। कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, डीएसएलएसए ने आगे समिति को सूचित किया कि बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए अलग–2 न्यायालयों में आवेदन दायर करना मुश्किल होगा। अतः यदि माननीय उच्च न्यायालय, उच्चाधिकार समिति के द्वारा अपनाए गए मानदंडों के संदर्भ में ऐसे विचाराधीन कैदियों के **अंतरिम जमानत** के संशोधन/विस्तार के लिए एक न्यायिक आदेश पारित करती है तो वह **इस उद्देश्य को पूर्ण करेगा।**

समिति ने मौजूदा स्थिति पर विचार–विमर्श किया और इस तथ्य पर भी विचार किया कि **केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 17.05.2020 तक बढ़ा दिया है।** समिति ने आगे माना कि न्यायालय प्रणाली के सामान्य काम–काज को फिर से शुरू करने के लिए कोई निश्चित कटऑफ की भविष्यवाणी करना इस समय संभव नही है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कहा कि अभी कुछ निश्चित नही है कि इस महामारी का खतरा कब कम होगा और **सामाजिक दूरी** की आवश्यकता कब तक आवश्यक नही रहेगी। समिति की रॉय है कि ऐसे विचाराधीन कैदियों की उनकी अंतरिम जमानत क्रमशः समाप्त होने की तारीख से 45 दिनों तक और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। समिति की रॉय है कि इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से एक न्यायिक आदेश की आवश्यकता होगी और तदानुसार **सिफारिश** की जाएगी। सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि समिति की इन **सिफारिशों** को इन कार्यवृत्त (Minutes) की प्रतिलिपि के रूप में माननीय रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा इस तरह के किसी भी आदेश के पारित होने की स्थिति में यह स्पष्ट किया जाता है कि जेल प्रशासन ऐसे विचाराधीन कैदी को टेलीफोन के द्वारा उनके पहली अंतरिम जमानत की अवधि के समाप्त होने से पूर्व आगे की 45 दिन की अवधि के लिए सूचित करेगा। महानिदेशक (जेल) ने आश्वासन दिया कि जेल प्रशासन आवश्यक कार्यवाही करेगा और विचारधीन कैदियों को उनके आत्मसमर्पण की सही तारीख के बारे में **सूचित करेगा।**

आइटम नंबर 4: प्राप्त रिप्रजेंटेशन पर विचार

(ए) लॉकडाउन की अवधि में रिमांड की सुनवाई के दौरान कैदियों के लिए उचित कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के संबंध में

सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण समिति के संज्ञान दिनांक 30.04.2020 की रिप्रजेंटेशन लाए जिसे श्री महमूद पारचा, अधिवक्ता ने समिति के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की अवधि में रिमांड की सुनवाई के दौरान कैदियों के लिए उचित कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के संबंध में भेजा है। समिति के सदस्यों ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उस पर विचार करने के पश्चात समिति के सभी सदस्यों की यही रॉय थी कि प्रस्तुत रिप्रजेंटेशन और उसमें की गई प्रार्थना इस **समिति के दायरे से परे** है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 23.03.2020 के आदेश के रूप में अनिवार्य है जिसके अनुसार इस समिति का गठन किया गया है।

कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, डीएसएलएसए, हालांकि यह समिति के नोटिस में लाए कि जब भी कोई नया कैदी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है और जेल परिसर के अंदर भी रिमांड की एक्सटेंशन के लिए उपस्थित होता है तो उनके लिए, न्यायालय परिसरों के साथ–2 तिहाड़ और मंडोली जेल परिसर में स्थित न्यायालयों में कोर्ट की सुनवाई के दौरान नियमित आधार पर,**रिमांड अधिवक्ता** लगाए गए हैं। उन्होने समिति को आश्वासन दिया कि वे देखेंगे कि जो रिमांड अधिवक्ता लगाए गए हैं वे रिमांड प्रोसिडिंग के दौरान कैदियों का कानूनी प्रतिनिधित्व जारी रखें। इस समिति के माननीय अध्यक्ष के रूप में और कार्यकारी अध्यक्ष, डीएसएलएसए के रूप में इस रिप्रजेंटेशन को संज्ञान में लिया और जैसा कि सदस्य सचिव, डीएसएलएसए ने स्थिति का वर्णन किया, उसके आधार पर अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि रिमांड अधिवक्ता तिहाड़ और मंडोली जेल परिसरों में निरंतर उपस्थित होने चाहिए। इसके साथ–2 जेल के

अंदर भी नए कैदियों के साथ–2 विचाराधीन कैदियों को रिमांड की सुनवाई के दौरान कानूनी प्रतिनिधित्व देने के लिए उपस्थित रहेंगे।

(बी) न्यायिक हिरासत में सुश्री सफोरा जरदार एवं अन्य गर्भवती स्त्रियों की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना

सदस्य सचिव, डीएसएलएसए आगे दिनांक 29.04.2020 की एक अन्य रिप्रजेंटेशन जो कि समिति के अध्यक्ष को संबोधित की गई थी, समिति के संज्ञान में लाए। समिति के सदस्यों ने उक्त रिप्रजेंटेशन को ध्यानपूर्वक देखा जो कि श्री वजाहत हबीबुल्लाह, अध्यक्ष,सीएचआरआई ने न्यायिक हिरासत में सुश्री सफूरा जरदार एवं अन्य गर्भवती स्त्रियों की स्वास्थ्य देखभालसंबंधी आवश्यकताओं के लिए थी। उसको देखने के बाद समिति के माननीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि महानिदेशक (जेल) यह सुनिश्चित करेंगे कि सुश्री सफूरा जरदार एवं अन्य गर्भवती कैदियों को पर्याप्त चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जाए। महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को बताया सभी सुविधाएं पहने से ही प्रदान कर दी गई हैं और सुनिश्चित किया कि उन्हें आगे भी प्रदान की जाएगी। उन्होने सूचित किया सुश्री सफूरा जरदार को मिलाकर वहां तीन गर्भवती कैदी हैं जिन्हें न केवल पर्याप्त **चिकित्सा सुविधाएं** प्रदान की जा रही हैं बल्कि उन्हें **विशेष आहार** भी दिया जा रहा है। अध्यक्ष ने महानिदेशक (जेल) को यह जारी रखने के लिए कहा।समिति ने कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, डीएसएलएसए को निर्देश दिया कि वे उपरोक्त दो रिप्रजेंटेशन लगाने वाले **प्रार्थियों को इस संबंध में यह समस्त जानकारी** प्रदान करें।

आइटम नंबर 5: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय

माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 18.04.2020 की अंतिम बैठक में अपनाए गए निर्णयों के आधार प**र** महानिदेशक (जेल) से कैदियों का तिहाड़ और रोहिणी जेल से मंडोली जेल में प्रवास और स्थानांतरण के विषय में पूछा। महानिदेशक (जेल) ने अध्यक्ष को सूचित किया कि दिनांक 18.04.2020 की अंतिम बैठक में अपनाए गए निर्णयों के आधार पर उन्होने **207 कैदी** रोहिणी से और **53 कैदी** तिहाड़ जेल से मंडोली जेल में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किए हैं। महानिदेशक (जेल) ने आगे सूचित किया कि इन 260 कैदियों के स्थानांतरण के समय उन्होने उन्हें बस से पारगमन कराते समय **सामाजिक दूरी के सभी नियमों** का पालन किया।

260 कैदियों के रोहिणी और तिहाड़ जेल से मंडोली जेल में स्थानांतरण तथा विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ने के पश्चात उच्चाधिकार समिति के सदस्यों ने दिनांक 05.05.2020 ने विचार किया कि इन तीनो जेल परिसरों में दिनांक**04.05.2020** तक जेल की वास्तविक जनसंख्या कितनी है। इन सब पर विचार करने के साथ–2 इन जेलों में रखने की क्षमता उनका एरिया और उनके व्यय पर विचार करने के पश्चात समिति में एकमत से यह निर्णय लिया गया कि तिहाड़ जेल से **100 और कैदियों** को मंडोली जेल में स्थानांतरित करने पर तिहाड़ जेल में **पर्याप्त रूप से भीड़ कम** हो जाएगी। ऐसा करने से जेल प्रशासन सभी जेल परिसरों में कैदियों में **सामाजिक दूरी** का पालन करने की स्थिति में होगा।

यह भी **निर्णय** लिया गया कि इन **100 कैदियों** को भेजते समय **सामाजिक दूरी** के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। उन्हें भेजते समय जेल प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि परिवहन में **आधे या एक चौथाई** से अधिक कैदियों को न भेजा जाए जिससे कि कैदी पारगमन करते समय एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें।

<u>रिहा किए गए विचाराधीन कैदियो/दोषियों का उनके घर पर सुरक्षित पारगमन</u>

समिति के अध्यक्ष ने भाग लेने वाले सदस्यों को माननीय सर्चोच्च न्यायालय के दिनांक 13.04.2020 के आदेश में दी गई टिप्पणियों को याद दिलाते हुए कहाः

1. *कोई भी कैदी जो करोना वायरस से संचारी रूप से पीड़ित हो तो उसे छोड़ा नही जाएगा। इस उद्देश्य से उचित टेस्ट करवाए जाएंगे।*
2. *कैदियों को भेजते समय सामाजिक दूरी के सभी नियमों का पूर्णतः पालन किया जाएगा जैसे कि बस की क्षमता से आधे या एक चौथाई से अधिक को परिवहन की आज्ञा नही दी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो यात्री कोरोना वायरस से मुक्त पाए जाएगे वे भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे।*

माननीय अध्यक्ष ने पूछा कि अंतिम बैठक में अपनाए गए निर्णयों के आधार पर क्या अंतरिम जमानत/पैरोल/पर छोड़े गए विचाराधीन कैदी/दोषियों जो अन्य राज्यों से थें, को रिहा करते समय उन्हें उचित परिवहन की सुविधा प्रदान की गई या नही जिससे कि वे अपने घर सुरक्षित पहॅुच जाएं। इस विषय में महानिदेशक (जेल) ने सूचित किया कि सूची में से **151 कैदियों** को जेल प्रशासन के द्वारा **दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली** की **DAP III Battalion**उन्हे उनके मूल स्थान पर सुरक्षित पारगमन

के लिए दी गई।**65 कैदियों** को वाहन की सुविधा प्रदान की गई और वे **अपने घर पर सुरक्षित पहुँच चुके हैं।**

महानिदेशक (जेल) ने समिति को सूचित किया कि बाकि बचे हुए कैदी जो कि **यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश,झारखंड, वेस्ट बंगाल और अन्य राज्यों से** संबंध रखतें हैं उनके लिए वह **पहले ही** दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और उनके संबंधित रेजिडेंट कमीशनर को **प्रार्थना कर चुके हैं।**

श्री सत्य गोपाल, प्रधान सचिव(गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने अध्यक्ष को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने **रेल मंत्रालय** से यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश, झारखंड, के प्रवासी श्रमिको को उनके मूल स्थान पर भेजने के लिए **विशेष ट्रेन** प्रदान करने की प्रार्थना की है। उन्होने आश्वासन दिया जब उन्हें रेल मंत्रालय विशेष ट्रेन प्राप्त होने की सूचना प्राप्त होगी तब प्रवासी मजदूरों के साथ इन चार राज्यों से संबंधित छोड़े गए **विचाराधीन कैदी/दोषियों कोभी भेजने की व्यवस्था** कर दी जाएगी।

महानिदेशक (जेल) और प्रधान सचिव(गृह) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने आश्वासन दिया कि माननीय सर्चोच्च न्यायालय के दिनांक 13.04.2020 के द्वारा दिए गए निर्देशों के अतिरिक्त भेजने के समय में **सामाजिक दूरी के सभी नियमों** का पालन किया जाएगा।

तदानुसार यह **हल** किया जाता है।

बैठक के कार्यवृत्त का **पालन** सभी संबंधितों के द्वारा किया जाएगा।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

संदीप गोयल **महानिदेशक (जेल)**	**सत्य गोपाल** **प्रमुख सचिव (गृह)**	**कंवलजीत अरोड़ा** **सदस्य सचिव** **डीएसएलएसए**

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली,
कार्यकारी अध्यक्ष,डीएसएलएसए

यह सत्यापित किया जाता हैं कि दिनांक 05.05.2020 की बैठक के कार्यवृत्त का हिन्दी अनुवाद मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

हिन्दी अनुवादक, डीएसएलएसए